बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक– पी0पी0एम0–18/2016 2896 /कृ0, पटना दिनांक 30-06-2016

प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित #द्वारा – वित्त विभाग।

विषय – **राज्य योजना अन्तर्गत धान की सामुदायिक नर्सरी विकास की योजना हेतु वर्ष 2016–17 में कुल 809.95 लाख रूपये (आठ करोड़ नौ लाख पंचानवे हजार रूपये) की स्वीकृति के अधीन सामान्य वर्ग के किसानों के लिये 631.761 लाख रू० (छः करोड़ एकतीस लाख छियत्तर हजार एक सौ रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

निदेशानुसार राज्य योजना अन्तर्गत धान की सामुदायिक नर्सरी विकास की योजना हेतु वर्ष 2016–17 में कुल 809.95 लाख रूपये (आठ करोड़ नौ लाख पंचानवे हजार रूपये) की स्वीकृति के अधीन सामान्य वर्ग के किसानों के लिये 631.761 लाख रू० (छः करोड़ एकतीस लाख छियत्तर हजार एक सौ रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कृषि रोडमैप के अधीन राज्य में खरीफ मौसम में धान की सामुदायिक नर्सरी तैयार किया जायेगा। नर्सरी में तैयार बिचड़ों को इच्छुक एवं जरूरतमंद कृषकों के बीच निःशुल्क वितरण किया जायेगा। इस योजना के फलस्वरूप गुणवत्ता युक्त उत्तम किस्म के धान के बिचड़े की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित हो सकेगी, जिससे उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि होगी। इस योजना से सिंचाई सुविधा रहित एवं भूमिहीन जोत करने वाले किसानों को समय पर धान की रोपनी करने में मदद मिलेगी। इस योजना से सुखाड़ या बाढ़ की स्थिति में बीचड़ा छतिग्रस्त होने पर किसान को पुनः धान की समय पर रोपनी हेतु बीचड़ा उपलब्ध हो सकेगा।

3. यह योजना वर्ष 2016–17 के खरीफ मौसम में कार्यान्वित किया जायेगा। उक्त योजना हेतु जिलावार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य हेतु अनुसूची–1 संलग्न है।

4. धान की सामूदायिक नर्सरी विकास योजना अंतर्गत बिचड़ा प्राप्ति हेतु आवेदन प्रपत्र के लिए अनुसूची–2 संलग्न है। धान बिचड़ा उत्पादक द्वारा बिचड़ा वितरण पंजी संधारण हेतु प्रपत्र अनुसूची–3 संलग्न है।

5. धान की सामुदायिक नर्सरी पाँच–पाँच एकड़ के कलस्टर में कुल 4850 एकड़ में जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कृषकों के खेत में विकसित किया जाएगा। नर्सरी विकास हेतु उपादान क्रय मद में 6500.00 रू0 प्रति एकड़ की दर से राशि व्यय किया जाएगा तथा उपादान मॉडल निम्न प्रकार होगा :

क्र0 सं0	उपादान का नाम	मात्रा	अधिकतम अनुदान सहायता (रू0 में)
1	प्रमाणित धान बीज	100 कि0ग्रा0	3,000.00
2	कम्पोस्ट	2.5 क्विंटल	1,500.00
3	बीज उपचार/पौधा संरक्षण रसायन	आवश्यकतानुसार	500.00
4	सिंचाई	आवश्यकतानुसार	1,500.00
	कुल योग		**6,500.00**

E:\ABHINAV\2016-17 community Nursery\SAMUDAYIK NARSARI STHAI VIT SAMITI 2016-17.doc

6. बीचड़ा वितरण मद में कृषकों द्वारा बीचड़ा क्रय के विरूद्ध प्रति एकड़ 10,000.00 (दस हजार रूपये) अर्थात एक एकड़ रोपनी हेतु बीचड़ा क्रय के विरूद्ध 1,000.00 (एक हजार रूपये) प्रति एकड़ के दर से राशि व्यय किया जाएगा। नर्सरी विकास मद की अनुमान्य राशि संबंधित बीचड़ा उत्पादक कृषक को उपादान क्रय से संबंधित अभिलेख/अभिश्रव/विपत्र के उपस्थापन तथा प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मी द्वारा नर्सरी स्थल के सत्यापन के आधार पर आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा देय होगा। धान की सामुदायिक नर्सरी विकास योजना के प्रचार–प्रसार, स्थल प्रदर्शन, अभिलेख संधारण आदि हेतु प्रति पाँच एकड़ के नर्सरी स्थल के लिए 1,000.00 (एक हजार रूपये) अनुमान्य होगा।

7. बीचड़ा क्रय के विरूद्ध राशि का भुगतान जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा नर्सरी स्थल से सम्बद्ध किये गये प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मी द्वारा बीचड़ा उपयोग के सत्यापन के आधार पर संबंधित कृषक/क्रेता के बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। एक कृषक को अधिकतम एक हेक्टेयर (2.5 एकड़) में धान रोपनी हेतु बीचड़ा उपलब्ध कराया जा सकेगा। धान की सामुदायिक नर्सरी विकास कलस्टर में किया जाएगा तथा एक कलस्टर का न्यूनतम रकवा 5 एकड़ होगा।

8. नर्सरी स्थल के चयन में इच्छुक लघु एवं सीमान्त कृषकों के समूह को प्राथमिकता दी जायेगी। नर्सरी उत्पादक को नर्सरी विकास एवं बीचड़ा वितरण से संबंधित किसानों का लेखा संधारण हेतु स्थल पंजी संधारित किया जायेगा तथा इसका पृष्ठ सत्यापन जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

9. नर्सरी विकास हेतु स्थानीय परिस्थिति के आलोक में अल्प अवधि अथवा मध्यम अवधि के प्रभेदों का चयन जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ से परामर्शानुसार किया जाएगा तथा इसमें संबंद्ध किये गये किसानों के पसंद को प्राथमिकता दी जाएगी। बीज एवं अन्य उपादान की उपलब्धता जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। नर्सरी ऊँचे स्थल पर पर्याप्त सिंचाई सुविधायुक्त होगा तथा बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा से प्रभावित नहीं हो। नर्सरी तैयारी से पूर्व इच्छुक कृषकों को लक्ष्यानुसार संबंद्ध किया जाएगा।

10. बाढ़ अथवा सुखाड़ के फलस्वरूप बीचड़ा क्षति से प्रभावित कृषकों को पहले आओ पहले पाओं के आधार पर सर्वोच्य प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन एवं बटाई पर जोत करने वाले कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। लक्ष्य शेष रहने पर लघु एवं सीमान्त कृषक को वरियता दी जाएगी तथा अंत में शेष लक्ष्य मध्यम एवं बड़े कृषक से पूरा किया जा सकेगा। नर्सरी तैयार करने वाले को उक्त बीचड़ों का स्वयं उपयोग करने की अनुमान्यता नहीं दी जाएगी।

11. योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु जिला कृषि पदाधिकारी नर्सरी स्थल क्षेत्र से संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार को संबद्ध करेगें तथा दायित्व का निर्धारण करेंगे।

12. योजना के कार्यान्वयन तथा राशि की निकासी एवं व्यय की पूर्ण जबावदेही जिला कृषि पदाधिकारी की होगी। योजना एवं नर्सरी स्थल का व्यापक प्रचार–प्रसार जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा आत्मा के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

13. प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) अपने जिलों में उक्त योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु सघन पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण सुनिश्चित करायेगें।

14. नर्सरी स्थल से संबंद्ध किये पदाधिकारी/कर्मी द्वारा नियमित रूप से नर्सरी स्थल, स्थल पंजी, बीचड़ा वितरण एवं रोपनी स्थल का निरीक्षण कर जिला कृषि पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया जायेगा। सबंधित किसान सलाहकार अथवा कृषि समन्वयक द्वारा इच्छुक कृषकों से विहित प्रपत्र (अनुसूची–II के अनुसार) में आवेदन प्राप्त कर रोपनी हेतु खाली स्थल के सत्यापन उपरान्त स्वीकृति पत्र निर्गत किया जाएगा।

15. बीचड़ा वितरण से संबंधित विवरणी विहित प्रपत्र (अनुसूची–III के अनुसार) में स्थल पंजी में बीचड़ा उत्पादनक द्वारा संधारित किया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा आकस्मिकता मद से नर्सरी स्थल पर प्रदर्शन बोर्ड लगाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा सत्यापित स्थल पंजी तथा आवेदन पत्र एवं पंजी संधारण से संबंधित प्रपत्र बीचड़ा उत्पादक को उपलब्ध कराया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा

नर्सरी उत्पादन एवं बीचड़ा वितरण से लाभान्वित कृषकों की सूची जिला में एन0आई0सी0 के माध्यम से वेबसाइट पर अपलोड सुनिश्चित किया जाएगा।

16. आवश्यकतानुसार उपर्युक्त अनुदेश में समावेश अथवा संशोधन किया जा सकेगा।

17. निकासी हेतु स्वीकृत राशि 631.761 लाख रू० (छः करोड़ एकतीस लाख छियत्तर हजार एक सौ रूपये) मुख्यशीर्ष–2401 फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00– लघु शीर्ष–109– विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण– उपशीर्ष– 0106– इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, माँग संख्या –01– विपत्र कोड– P2401001090106 राज्य योजना स्कीम कोड–AGR-5022 विषय शीर्ष–33 01 सब्सिडी में उपबंधित राशि 3120.00 लाख रू0 से विकलनीय होगा।

18. योजना का कार्यान्वयन एजेन्सी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी होगें। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा संबंधित मद की राशि की निकासी विपत्र के अधार पर की जायेगी।

19. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में विभागीय मंत्री की स्वीकृति संचिका संख्या– पी०पी०एम०– 18/2016 के पृ0सं0– 3/टि0 पर दिनांकः 13.05.2016 को प्राप्त है।

20. योजना की स्वीकृति पर दिनांकः 30.05.2016 को स्थायी वित्त समिति की सहमति प्राप्त है।

21. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

22. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या पी0पी0एम0–18/2016 के पृ0सं0–18/टि0 पर दिनांक 27.06.2016 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28/6/16

(प्रभु राम)

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–18/2016 2896 /कृ0, पटना, दिनांक 30-06-2016

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/6/16

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–18/2016 2896 /कृ0, पटना, दिनांक 30-06-2016

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/6/16

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–18/2016 2896 /कृ0, पटना, दिनांक 30-06-2016

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/6/16

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–18/2016 2896 /कृ0, पटना, दिनांक 30-06-2016

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–18/2016 2896 /कृ0, पटना, दिनांक 30-06-2016

प्रतिलिपि– कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/ संबंधित उप कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक/सभी उप कृषि निदेशक, प्रक्षेत्र/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

F:\ABHINAV\2016-17\community Nursery\SAMUDAYIK NARSARI STHAI VIT SAMITI 2016-17.doc